

05 F S S 3 4 5 10 11 12 70784 har@punjab.gov.in 25777 yahoo.com 87517 22@gmail.com 57741 gmail.com 00911 @punjab.gov.in 0101 @punjab.gov.in 5295 kbc.org.in 517 @gmail.com 862 pur@punjab. 930 @gmail 084 mail.com 08 mail.com 42 yahoo.com 43 gmail.com 58 ahoo.com 9 hoo.com 4 oo.in 3 o.in 3 com 5 unjab.gov.in 1 mail.com 7 njab.gov.in 7 mail.com 44 pwd@gmail. er: 27/14496	May 2026 Road, Kartarpura, Sangrur - 148001 (2) Kiranpal Kaur, Address:- Bhatal Colony, Hareri Road, Kartarpura, Sangrur - 148001	148001 measuring 61.24 Sq. Yards i.e. 1.25/30 Marla being 55/2370 share out of total measuring 3 Kanal 19 Marlas comprised in Khata No. 1101/1608 (Old) Khata No. 1177-1178/1710 (New) having Khasra No. 651/8/3/1/1-6, 9/1/2-13, Regd. in the Office of Sub-Registrar, Sangrur vide sale deed No. 2163 dated 08.09.2009 in the name of Sh. Tarsem Singh S/o Labh Singh & Smt. Kiran Pal Kaur W/o Tarsem Singh. Butted & Bounded by:- East: House of Balwant Singh; West: House of Paramjit Kaur; North: Vacant Land; South: Street.	repayments made after NPA	E-mail: sangru@uco.bank.in	05:00 P.M.
3.	NABHA BRANCH Borrower(s):- (1) Whisky Kumar, Address:- Guru Teg Bahadur Nagar, Chaudhary Majra Road, Nabha, Patiala - 147201; (2) Jasbir Kaur, Address:- Guru Teg Bahadur Nagar, Chaudhary Majra Road, Nabha, Patiala - 147201	All part and parcel of residential house measuring 150 sq. yds. situated at Guru Teg Bahadur Nagar, Chaudhary Majra Road, Alhoran Khurd, Gali, Nabha, Patiala. Registered vide deed No. 2022/23/77/1/1168 dated 13/07/2022 in the name of Smt. Jasbir Kaur W/o Whisky Kumar, mortgaged with UCO Bank Nabha dated 13.07.2022. Boundary of the Property such as:- Butted & bounded by: On the East: Street (27'-0"), On the West: Joginder Singh (27'-0"); On the North: Vacant Plot (50'-0"); On the South: Kamaljeet Singh (50'-0").	01.02.2025 / Symbolic Rs. 14,80,000/- Less repayments made after NPA	Rs. 17,15,000/- Rs. 1,71,500/- Rs. 10,000/- E-mail: nabha@uco.bank.in	Ms. Rasu Jain, M.: 9877819492 11.09.2026 11:00 A.M. to 05:00 P.M.
4.	NABHA BRANCH Borrower(s):- (1) Balwinder Kumar S/o Krishan Kumar, Address:- Baldev Colony, Alhoran, Tehsil Nabha, District Patiala - 147201; (2) Kamaldeep Kaur W/o Balwinder Kumar, Address:- Baldev Colony, Alhoran, Tehsil Nabha, District Patiala - 147201	Residential House measuring 102.22 sq. yards situated at Defence-III, Alhoran, Nabha District, Patiala, registered vide title deed No. 3256 dated 04.02.2022. Mortgaged to UCO Bank Nabha dated 07.02.2022. Boundaries as per Deed: East: Amarjeet Kaur (46'-0"); West: Puran Singh (46'-0"); North: Street (20'-0"); South: Vacant Plot (20'-0").	11.11.2025 / Symbolic Rs. 15,24,297/- Less repayments made after NPA	Rs. 15,78,000/- Rs. 1,57,800/- Rs. 10,000/- E-mail: nabha@uco.bank.in	Ms. Rasu Jain, M.: 9877819492 11.09.2026 11:00 A.M. to 05:00 P.M.
5.	AMB SECTOR 17, CHANDIGARH BRANCH Borrower(s):- (1) Anurag Mohila, Flat No. 104 A, Gulmohar heights, Khanpur-Kharar (PB) - 140301; (2) Sushma Kumari, Flat No. 104 A, Gulmohar heights, Khanpur - Kharar (PB)-140301	All part and parcel consisting of immovable property being flat no. 104 A, 4th Floor Gulmohar Heights, Khanpur, Kharar, SAS Nagar Mohali (Punjab-140301). Allotment letter dated 14-04-2017. (a) Title Deed(s) No. 5068 & Dated 08-09-2017. (b) Anurag Mohila S/o Sh. Lachhu Ram. (c) Boundary of the property: Butted & bounded by: On the East: As per site; On the West: As per site; On the North: As per site; On the South: As per site.	17.09.2024 / Symbolic Rs. 23,03,659.65* Less repayments made after NPA	Rs. 36,94,000/- Rs. 3,69,400/- Rs. 20,000/- E-mail: ambchd@uco.bank.in	Mr. Gurpreet Singh, M.: 8196950111 11.09.2026 11:00 A.M. to 05:00 P.M.
6.	SECTOR 38, CHANDIGARH BRANCH Borrower(s):- (1) Sai Document Centre, H. No. 656/5 Sector 8, Kharar, Distt. SAS Nagar, Mohali Punjab - 140301; (2) Raj Kumari (Prop), H. No. 897/B, Ward No. 9, Kharar, Distt. SAS Nagar, Mohali 140301; Guarantor(s):- Himanshu Malhotra S/o Sunil Kumar Malhotra (Guarantor), H. No. 656/5, Sector 8, Neermwala Chowk, Kharar, SAS Nagar, Mohali Punjab - 140301.	All part and parcel consisting of immovable property being H No. 656-651/5 Neerwala Chowk, Abadi Upper Bazar Sector 8 ward no. 5 Near Jwala Ji Temple Hadhast no 184, Tehsil Kharar, SAS Nagar Mohali. (a) Transfer Deed(s) No. 5002 & Dated Book no. 1 Dated 26.11.2013; (b) Himanshu Malhotra S/o Sunil Kumar Malhotra (c) Boundary of the property: Butted & bounded by: On the East: House of Anil Gupta; On the West: Street 13 Feet; On the North: Anil Gupta; On the South: House of Bimal Singla & Street.	30.07.2019 / Symbolic Rs. 6,42,798.14* Less repayments made after NPA	Rs. 22,00,000/- Rs. 2,20,000/- Rs. 20,000/- E-mail: chas38@uco.bank.in	Mr. Gurpreet Singh, M.: 8196950111 11.09.2026 11:00 A.M. to 05:00 P.M.

STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SARFAESI ACT, 1991

Terms & Conditions:- (1) The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002. 2. The properties are being sold on "AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS". 3. The particulars of Secured Assets specified in the Schedule herein above have been stated to the best of the information of the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation. 4. The auction sale will be "online through e-auction" portal <https://baanknet.com>. 5. The intending Bidders / Purchasers are requested to register on portal <https://baanknet.com> using their mobile number and E-mail ID. Further, they are requested to upload requisite KYC documents. Once the KYC documents are verified by e-auction service provider (may take 2 working days), the intending Bidders / Purchasers has to transfer the EMD amount using online mode in his Global EMD Wallet On before the E-Auction Date and time in the portal. The registration, verification of KYC documents and transfer of EMD in wallet must be completed well in advance, before auction. 6. Platform <https://baanknet.com>, for e-Auction will be provided by E-Auction service provider **Help Desk No. +91-8291220220, Help Desk E-Mail ID: support.baanknet@psballiance.com**. The intending Bidders / Purchasers are required to participate in the E-Auction process at E-Auction Service Provider's website <https://baanknet.com>. 7. For any property related query may contact the Authorised Officer - for Sr. No. 1 to 4 - Mr. Satyam Kumar, M.: 9122155620; for Sr. No. 5 & 6 - Ms. Prabhgeet Kaur, M.: 9815244554. 8. The Sale Notice containing the General Terms and Conditions of sale is available / published in the websites / web page portal: <https://baanknet.com>. 9. The intending participants of E-Auction may download free of cost, copies of the Sale Notice, Terms & Conditions of E-Auction, Help Manual on operational part of E-Auction related to this E-Auction from portal <https://baanknet.com>. 10. Bidder's Global Wallet should have sufficient balance (>=EMD amount) at the time of bidding. 11. During the E-Auction bidders will be allowed to offer higher bid in inter-se bidding over and above the last bid quoted and the minimum increase in the bid amount must be as mention above to the last higher bid of the bidders. Ten (10) minutes time will be allowed to bidders to quote successive higher bid and if no higher bid is offered by any bidder after the expiry of ten minutes to the last highest bid, the E-Auction shall be closed. 12. It is the responsibility of intending Bidder(s) to properly read the Sale Notice, Terms & conditions of E-Auction; Help Manual on operational part of E-Auction and follow them strictly. In case of any difficulty or need of assistance before or during e-Auction process may contact authorized representative of our E-Auction Service Provider <https://baanknet.com>. Details of which are available on the E-Auction portal. 13. After finalization of E-Auction by the Authorized Officer, only successful bidder will be informed by our above referred service provider through SMS / E-mail. (On Mobile No. / E-mail Address given by them / registered with the service provider). 14. The secured asset will not be sold below the reserve price. The Authorised Officer reserves the right to accept any or reject all bids, if not found acceptable or to postpone / cancel / adjourn / discontinue or vary the terms of the auction at any time without assigning any reason whatsoever and his decision in this regard shall be final. 15. The sale certificate shall be issued in favor of successful bidder on deposit of full bid amount as per the provisions of the act. 16. It shall be the responsibility of the bidders to inspect and satisfy themselves about the asset and specification before submitting the bid. The bidder inspect the property in consultation with the dealing official as per the details provided. All statutory dues / attendant charges / other dues including registration charges, stamp duty, taxes etc. shall have to be borne by the purchaser. 17. The Authorized Officer of the Bank shall not be responsible for any charge, lien, encumbrances, or any other dues to Government or anyone else in respect of properties (E-Auctioned) not known to the bank. The Intending Bidder is advised to make their own independent inquiries regarding the encumbrances on the property including statutory liabilities, arrears of property tax, electricity dues etc. 18. The bidder should ensure proper internet connectivity, power back-up etc. The Bank shall not be liable for any disruption due to internet failure, power failure or technical reasons or reasons / contingencies affecting the E-Auctions. 19. The successful bidder has to bear the TDS of 1% if the property value exceeds 50 Lacs. 20. This notice is also to be treated as 15 days statutory sale notice to borrower and guarantor under Rule 9(1) Security Interest (Enforcement) Rules 2002. 21. Incase of sole bidder the bid amount quoted in his/her bid form must be improved by at least one bid incremental value, lest the sale shall be cancelled/deferred. 22. Sale will not be confirmed if the borrower tenders to the bank contractual dues along with other expenses prior to the Authorised Officer issuing Sale Confirmation letter to the successful bidder, in such case the Bank shall refund without interest the entire amount remitted by the successful bidder.

AUTHORIZED OFFICER

Place: Chandigarh

Date: 21.08.2026

है। तारीकित सवालों के जवाब सदन में मंत्री खुद देंगे, जबकि अतारकित सवालों के जवाब टेबल किए जाएंगे। हरियाणा में बूचड़खानों और मांस की दुकानों को दोहरे लाइसेंस नहीं लेने पड़ेंगे। अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए प्रदेश सरकार मानसून सत्र में दो विधेयक पारित कराने जा रही है।

उच्चस्तरीय बैठकों में हरियाणा में निवेश की संभावनाओं को सामने रखेंगे।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डाक्टर अमित अग्रवाल के अनुसार मुंबई रोडशो को अगले साल अप्रैल में प्रस्तावित 'हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स

माना जा रहा है। सरकार का जोर महज निवेश रुचि जुटाने पर नहीं, बल्कि उसे ठोस परियोजनाओं, पूंजी प्रतिबद्धताओं और दीर्घकालिक संस्थागत साझेदारियों में बदलने पर है। मुख्यमंत्री का यह अभियान हरियाणा की आर्थिक प्रगति को विकसित भारत@2047 के विजन से

अग्रवाल के अनुसार मुख्यमंत्री उद्योग दिग्गजों, सीईओ और संस्थागत फंड प्रमुखों के साथ वन-टू-वन बैठकें भी करेंगे। साथ ही मुंबई में बसे प्रमुख हरियाणावी कारोबारियों और वैश्विक उद्यमियों को जोड़ने के लिए विशेष 'प्रवासी हरियाणावी संवाद मंच' आयोजित किया जाएगा।

यूको बैंक
सम्मान आपके विश्वास का



UCO BANK
Honours your trust

ई-नीलामी
बिक्री सूचना

यूको बैंक आंचलिक कार्यालय, चंडीगढ़ - एससीओ 55-56-57, बैंक स्क्वेयर, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़-160017,
दूरभाष: 0172-5037339, 5037340, ई-मेल: zochng.rec@ucobank.bank.in

ई-नीलामी बिक्री की बिक्री सूचना (अचल संपत्तियों हेतु)

प्रतिभूति हित अधिनियम (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों को साथ पढ़ते हुए प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (सर्कसी) के प्रवर्तन तथा वितीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण व प्रतिभूतिकरण के अधीन अचल परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। आम जनता तथा विशेष तौर पर ऋणियों एवं गारंटियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सिस्कोड क्रेडिटर को मोटीगेंज प्रभारित निम्न वर्णित अचल संपत्तियों का यूको बैंक (सिस्कोड क्रेडिटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतीकात्मक/भौतिक कब्जा ग्रहण किया गया है, जिसकी "जैसे है जहां है" "जो है जैसी है" तथा "जहां पर है जैसी भी है" पर बिक्री की जाएगी तथा निम्न वर्णित अचल संपत्तियों की खरीद हेतु इच्छुक क्रेताओं से बोलियां आमंत्रित की जाती हैं।

क्र. सं.	शाखा एवं ऋणी/गारंटर का नाम	अचल संपत्ति का विवरण	कब्जे की तिथि/कब्जे की स्थिति (भौतिक अथवा प्रतीकात्मक)	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	आरक्षित कीमत ईएमडी बोली वृद्धि राशि	संबंधित अधिकारी का विवरण	नीलामी की तिथि एवं समय
1.	एसएमबी सेक्टर 17, चंडीगढ़ शाखा ऋणी- (1) अनुराग मोहिला, प्लैट सं. 104ए, गुलमोहर हाईरस, खानपुर-खरड (पंजाब)-140301, (2) सुष्मा कुमारी, प्लैट सं. 104ए, गुलमोहर हाईरस, खानपुर-खरड (पंजाब)-140301	प्लैट सं. 104ए, 4वां तल, गुलमोहर हाईरस, खानपुर, खरड एसएस नगर मोहली (पंजाब-140301) के तौर पर अचल संपत्ति से युक्त सभी भाग एवं पार्सल। (ए) शीर्षक विलेख सं. 5068 एवं दिनांक 08.09.2017, (बी) अनुराग मोहिला पुत्र श्री लख्खू राम। (सी) संपत्ति की चौहद्दी: बुटेड एवं चौहद्दी: पूर्व: साईट के अनुसार, पश्चिम: साईट के अनुसार, उत्तर: साईट के अनुसार, दक्षिण: साईट के अनुसार।	17.09.2024/प्रतीकात्मक	01.07.2024/ रु. 23,03,659.65* एनपीए के पर्याप्त किए गए भुगतान को कम करके	Rs. 36,94,000/- Rs. 3,69,400/- Rs. 20,000/- ई-मेल: ambchd@uco.bank.in	श्री गुरप्रीत सिंह, मो. 8196950111	11.09.2026 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे
2.	सेक्टर-38, चंडीगढ़ शाखा ऋणी- (1) साई डॉक्यूमेंट सेंटर, मकान सं. 656/5 सेक्टर 8, खरड, जिला एसएस नगर, मोहली पंजाब-140301, (2) राज कुमारी (प्रोप.), मकान सं. 897/बी, वाई सं. 9, खरड, जिला एसएस नगर, मोहली 140301, पंजाब-140301	मकान सं. 656-651/5 नौरवाला चौक, आबादी अपर बाजार सेक्टर 8 वाई सं. 5 समीप ज्वाला जी मंदिर हदबस्त सं. 184, तहसील खरड, एसएस नगर मोहली के तौर पर अचल संपत्ति से युक्त सभी भाग एवं पार्सल। (ए) हस्तांतरण विलेख सं. 5002 एवं दिनांक बुक सं. 1 दिनांक 26.11.2013, (बी) हिमांशु मलहोत्रा पुत्र सुनील कुमार मलहोत्रा (सी) संपत्ति की चौहद्दी: बुटेड एवं चौहद्दी: पूर्व: अनिल गुप्ता का मकान, पश्चिम: गली 13 फीट, उत्तर: अनिल गुप्ता, दक्षिण: बिमल कुमार का मकान एवं गली। गारंटर: हिमांशु मलहोत्रा पुत्र सुनील कुमार मलहोत्रा (गारंटर), मकान सं. 656/5 सेक्टर 8, नौरमवाला चौक, खरड, एसएस नगर, मोहली	30.07.2019/प्रतीकात्मक	29.10.2015/ रु. 6,42,798.14* एनपीए के पर्याप्त किए गए भुगतान को कम करके	Rs. 22,00,000/- Rs. 2,20,000/- Rs. 20,000/- ई-मेल: chas38@uco.bank.in	श्री गुरप्रीत सिंह, मो. 8196950111	11.09.2026 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे

सर्कसी अधिनियम, 1961 के नियम 8(6) अधीन 15 दिनों की वैधानिक बिक्री सूचना

नियम एवं शर्तें: - (1) बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्दिष्ट नियम एवं शर्तों का विषय होगी। 2. संपत्तियां "जैसा है जहां है" एवं "जो है जैसा है" तथा "जहां पर है जैसी है" के आधार पर" बेची जाएगी। 3. उक्त अनुसूची में वर्णित सिस्कोड परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की पूर्ण जानकारी से है, परंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत जानकारी व विलोपन के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। 4. नीलामी बिक्री पोर्टल <https://baanknet.com> पर "ई-नीलामी के माध्यम ऑनलाइन" होगी। 5. इच्छुक बोलीदाता/क्रेता को अपना मोबाइल नंबर व ई-मेल आईडी उपयोग करते हुए पोर्टल <https://baanknet.com> पर पंजीकृत होना का निवेदन किया जाता है। आगे, उन्हे केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने का निवेदन किया जाता है। ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा एक बार केवाईसी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा (इसमें 2 कार्यदिवस लग सकते हैं), इच्छुक बोलीदाता/क्रेता पोर्टल में ई-नीलामी की तिथि व समय से पूर्व अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन विधि उपयोग करते हुए ईएमडी हस्तांतरित करेंगे। पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों का सत्यापन तथा वॉलेट में ईएमडी का हस्तांतरण नीलामी से पूर्व अग्रिम में किया जाना है। 6. ई-नीलामी के लिए प्लेटफार्म <https://baanknet.com> ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किया जाएगा, हेल्पडेस्क सं. +91-8291220220, हेल्पडेस्क ई-मेल आईडी: support.baanknet@psballiance.com इच्छुक बोलीदाता/क्रेता को ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट <https://baanknet.com> पर ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना बांझित है। 7. संपत्ति संबंधी किसी भी पृष्ठताछ हेतु प्राधिकृत अधिकारी सुश्री प्रभगीत (Prabhgeet) कौर, मो. 9815244554 से संपर्क करें। 8. बिक्री की सामान्य नियम एवं शर्तों वाली बिक्री सूचना <https://baanknet.com> वेबसाइट/वेब पेज पोर्टल पर उपलब्ध/प्रकाशित है। 9. ई-नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी <https://baanknet.com> पोर्टल से बिक्री सूचना, ई-नीलामी की नियम एवं शर्तें और ई-नीलामी के संचालन संबंधी सहायता मैनुअल की प्रतियां नि:शुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। 10. बोली लगाने के समय बोलीदाता को निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। 11. ई-नीलामी के दौरान बोलीदाताओं को अंतिम बोली से अधिक बोली लगाने की अनुमति होगी और बोली राशि में न्यूनतम वृद्धि बोलीदाताओं की अंतिम उच्च बोली के बराबर (अधिक) होनी चाहिए। 12. बोलीदाताओं को क्रमिक रूप से उच्च बोली लगाने के लिए दस (10) मिनट का समय दिया जाएगा और यदि अंतिम उच्चतम बोली के दस मिनट समाप्त होनी चाहिए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। बोलीदाताओं को अंतिम बोली से अधिक बोली लगाने की अनुमति होगी और बोली राशि में न्यूनतम वृद्धि बोलीदाताओं की अंतिम उच्च बोली के बराबर (अधिक) होनी चाहिए। 13. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-नीलामी को अंतिम रूप देने के बाद, केवल सफल बोलीदाता को हमारे उपरोक्त सेवा प्रदाता द्वारा एसएमएस/ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा (उनके द्वारा दिए गए सेवा प्रदाता के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर/ईमेल पते पर)। 14. आरक्षित संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि वे स्वीकार्य न पाई जाएं, या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या उसकी शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार है, और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा। 15. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण पेशी ऑनलाइन की जिम्मेदारी होगी। बोलीदाता प्रदान किए गए विवरण के अनुसार संबंधित अधिकारी से परामर्श करके संपत्ति का निरीक्षण करें। पंजीकरण शुल्क, का निरीक्षण करना और उससे संतुष्ट होना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। बोलीदाता प्रदान किए गए विवरण के अनुसार संबंधित अधिकारी बैंक को अज्ञात संपत्तियों (ई-नीलामी) के संबंध में स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी वैधानिक देय/संबंधित शुल्क/अन्य देय राशियों का वहन क्रेता द्वारा किया जाएगा। 16. बोली जमा करने से पहले संपत्ति और उसके विवरण का निरीक्षण करना और उससे संतुष्ट होना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। बोलीदाता प्रदान किए गए विवरण के अनुसार संबंधित अधिकारी बैंक को अज्ञात संपत्तियों (ई-नीलामी) के संबंध में स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी वैधानिक देय/संबंधित शुल्क/अन्य देय राशियों का वहन क्रेता द्वारा किया जाएगा। 17. बोली जमा करने से पहले संपत्ति और उसके विवरण का निरीक्षण करना और उससे संतुष्ट होना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। बोलीदाता प्रदान किए गए विवरण के अनुसार संबंधित अधिकारी बैंक को अज्ञात संपत्तियों (ई-नीलामी) के संबंध में स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी वैधानिक देय/संबंधित शुल्क/अन्य देय राशियों का वहन क्रेता द्वारा किया जाएगा। 18. बोली जमा करने से पहले संपत्ति और उसके विवरण का निरीक्षण करना और उससे संतुष्ट होना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। बोलीदाता प्रदान किए गए विवरण के अनुसार संबंधित अधिकारी बैंक को अज्ञात संपत्तियों (ई-नीलामी) के संबंध में स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी वैधानिक देय/संबंधित शुल्क/अन्य देय राशियों का वहन क्रेता द्वारा किया जाएगा। 19. बोलीदाता को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी और पावर बैंक-अप आदि सुनिश्चित करना वैधानिक देय/संबंधित शुल्क/अन्य देय राशियों का वहन क्रेता द्वारा किया जाएगा। 20. यदि संपत्ति का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक है, तो सफल बोलीदाता को 1% टीडीएस वहन करना होगा। 21. इस सूचना को नियम 9(1) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के तहत ऋणी और गारंटर को 30 दिन की वैधानिक बिक्री सूचना के रूप में भी माना जाएगा। 22. एकमात्र बोलीदाता के मामले में, उसके बोली प्रपत्र में उद्धृत बोली राशि में कम से कम एक बोली वृद्धि मूल्य की वृद्धि होनी चाहिए, अन्यथा बिक्री रद्द/स्थगित कर दी जाएगी। 23. यदि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सफल बोलीदाता को बिक्री पुष्टिकरण पत्र जारी करने से पहले ऋणी बैंक को संविदात्मक देय राशि और अन्य व्यय जमा कर देता है, तो बिक्री की पुष्टि नहीं की जाएगी, ऐसे मामले में बैंक सफल बोलीदाता द्वारा भेजी गई पूरी राशि बिना ब्याज के वापस कर देगा।

स्थान: चंडीगढ़

प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक: 21.08.2026